

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रारथना पत्र

प्रेषक:

वी. के. गौड़,  
मकान नं. - सी-115, गली नं. - 8,  
कान्ती नगर एक्सटेंशन,  
दिल्ली - 110051.

प्रेषित:

मुख्य जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ),  
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,  
(भारत सरकार का उपक्रम)  
उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1, क्षेत्रीय मुख्यालय,  
एससीओ-बे 5 -10, सेक्टर- 16-ए,  
फरीदाबाद (हरियाणा)-121001.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम क़ानून के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम क़ानून 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत नीचे लिखे प्रश्नों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

1. पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम में स्थित उपकेंद्रों में निर्मित आवासीय परिसर की श्रेणी क्रमशः (A,B,C,D & B1,B2,B3) आवासीय परिसरों की कुल संख्या का विवरण प्रमाणित दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें।
2. पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम में ऐसे उपकेंद्रों का प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें कि जहाँ वर्तमान में विभाग द्वारा आवासीय परिसर निर्मित नहीं करवाए गए हैं।
3. पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम के उपकेंद्रों में कार्यरत कार्यपालक/अकार्यपालकों की संख्या एवं उनको श्रेणी सहित आवंटित विभागीय आवास का पूर्ण विवरण प्रमाणित दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें।
4. पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम के उपकेंद्रों में कार्यरत कार्यपालक/अकार्यपालकों की संख्या जिन्हें श्रेणी सहित विभागीय आवास आवंटित अभी तक नहीं करवाया गया है तथा उन्हें 'एचआरए' / 'कंपनी लीज' के भुगतान का पूर्ण विवरण सहित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें।

मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी के लिए शुल्क के रूप में नगद/ नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या :-

-----जारी करने की तारीख राशि के रूप में संलग्न है।

भवदीय  
(वी.के.गौड़)

दिनांक: 'गुरुवार' 13, अक्टूबर, 2022